वर्ष 2018–19 में रबी के छः माह के लिये फतेहपुर व पूण्डरी फार्म पर बीज उत्पादन करवाने की नियम एवं शर्ते

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय बीज फार्म ....को वर्ष..के लिये कन्ट्रैक्ट फार्मिग के माध्यम से बीज उत्पादन हेतु निम्नलिखित शर्तो पर खुली बोली दिनांक ....को सुबह.................................बजे व................................बजे हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के ....फार्म पर मौके पर होगी ।

शर्ते :–

1. हर बोली दाता को बोली देने से पहले 10000/– रूपये नकद या ड्राफट के रूप में जमा करवाने होगे, जोकि सफल बोली पक्ष में न होने पर तुरन्त वापिस कर दिये जायेगें । सफल बोली दाता की राशि अगले छः माह की कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा फार्म पर लगे पेड़ व अन्य सामान के सुरक्षित वापिस करने पर लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
2. फार्म की भूमि.......................एकड़.........................मरले छः माह (30–4–2019 तक) के लिये कन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दी जायेगी, उच्चतम बोल देने वाले बीज उत्पादक द्वारा 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी तथा बकाया 75 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करवानी होगी । यदि बीज उत्पादक निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाता तो उसके द्वारा जमा करवाई गई सिक्योरिटी व अन्य राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य दूसरे नम्बर वाले बीज उत्पादक से करवा लिया जायेगा ।
3. बोली में हिस्सा लेने वाले किसान के पास किसी भी सरकारी एजैन्सी के लिये बीज उत्पादन करने का एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसके लिये वह अनुभव से सबन्धित सरकारी एजैन्सी द्वारा जारी बीज उत्पादन से सबन्धित कोई भी दस्तावेज कमेटी को प्रस्तुत कर सकता है ।
4. हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के माध्यम से कन्ट्रैक्ट एग्रीमैंट के रूप में बीज प्रोग्राम अपनाना होगा, जिसके लिये कम से कम कुल भूमि का 80 प्रतिशत क्षेत्र बीज उत्पादन के लिये उपयोग में लाना होगा तथा बीज उत्पादक को खाद, दवाई, पानी व बीज इत्यादि की कीमत खुद वहन करनी होगी । फाउडेशन/ब्रीडर बीज का प्रबंध निगम के सबन्धित प्रबंधकों द्वारा किसान की अदायगी पर करवाया जायेगा । यदि इसमें कोई बाधा होगी तो सबन्धित प्रबंधक द्वारा माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को तुरन्त सूचित किया जायेगा । बीज उत्पादक निगम द्वारा निर्धारित शर्तो के मुताबिक कार्य करेगा तथा उत्पादन किया गया बीज हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम को देना होगा, जिसके एवज में निगम सबन्धित बीज उत्पाद के सम्पर्क किसान को सरकार द्वारा निर्धारित फसल मूल्य से 10 प्रतिशत रबी फसलों के लिये अधिक कीमत देगा । यदि सरकार निर्धारित मूल से अतिरिक्त बोनस इत्यादि की घोषणा करती है तो इस राशि के उपर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

5. बीज उत्पादक को बीज उत्पादन हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के स्टोर में जमा करवाना होगा । परिवहन का खर्चा निगम द्वारा नियमानुसार दिया जायेगा । यदि उत्पादित बीज निगम द्वारा दिये गये नोर्म अनुसार नही होता तो इसकी सूचना मुख्यालय को भेजनी होगी ।

6. फार्म के पेड़ काटे नहीं जायेगें, बल्कि उनकी रखवाली करनी होगी । कब्जा देते समय पेड़ो का ब्यौरा पेड़ रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा बीज उत्पादक के हस्ताक्षर लिये जायेगें ।

7. फार्म पर बने सरकारी भवनों की देखभाल की पूरी जिम्मेवारी बीज उत्पादक सम्पर्क किसान की होगी और उनकी देखभाल करना तथा साल के अन्त में विभाग को लौटाना होगा तथा भवनों में किसी प्रकार की बदली अपने स्तर पर नहीं की जायेगी ।

8. यदि किसी फसल का नुकसान बाढ़, प्राकृतिक आपदा आदि कारणों से होगा तो उस नुकसान की भरपाई निगम द्वारा नहीं की जायेगी ।

9. फार्म से मिट्टी नहीं उठाई जायेगी ।

10. बीज उत्पादक द्वारा लगाई गई शर्तो की उल्लंधना करने के कारण फार्म को किसी प्रकार की हानि की जिम्मेवारी कन्ट्रैक्ट किसान की होगी तथा इस बारे में यदि कोई विवाद होगा तो प्रबंध निदेशक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम का फैसला अन्तिम होगा और बीज उत्पादक को मान्य होगा ।

11. फार्म पर बीज उत्पादक सम्पर्क किसान द्वारा निजी परमानैंट स्ट्रैक्चर नहीं बनाई जायेगी।

12. फार्म के ट्यूबबैलों आदि की मुरम्मत तथा बिजली बिलों आदि का खर्चा बीज उत्पादक को करना होगा ।

13. बीज उत्पादक को निर्धारित बीज उत्पादन के लिये फार्मनामा भरवाना होगा ।

14. फार्म नहरी होने की सूरत में आवयाना तथा सैस आदि का भुगतान बीज उत्पादक द्वारा सबन्धित विभाग को करना होगा ।

15. बीज उत्पादक सम्पर्क किसान कृषि विभाग व हरियाणा बीज प्रमाणिकरण संस्थान के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के निरीक्षण में कोई बाधा नहीं डालेगा ।

16. बीज उत्पादक द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक असामाजिक कार्य नहीं किया जायेगा । अगर इस समयअवधि के दौरान कोई भी ऐसी अनियमितता पाई गई तो इसका उत्तरदायित्व बीज उत्पादक का होगा तथा इस सबन्ध में होने वाली आगामी कार्यवाही के लिये बीज उत्पादक सम्पर्क किसान स्वंय जिम्मेवार होगा ।

17. फार्म को छः माह के लिये बीज उत्पादन के लिये देना है जोकि रबी की फसलों के लिये मान्य होगा ।

26.10.18

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कृते: प्रबंध निदेशक
26/10/18